मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–161/2023

1. अमरदीप पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुमन पत्नी अमरदीप जाति बिश्नाई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. रविना पुत्री सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 28-08-24

वादीगण की ओर से श्री शेलैन्द्र कुमार बिश्नोई प्रतिवादीगण की ओर से श्री सदाम हुसैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार डिकी किया जाता है:–

तहसील पीलीबंगा के चक 8 एल.के.एस के खाता सं. 14/42 के प.नं. 2/278 (49) के किला नं. 3 ता 7/1, व प.नं. 3/280 (65) किला नं. 1 ता 25 की 7.451 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में 1/2 हिस्सा खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण सं. 1 को 1.139 हैक. व वादीगण सं. 2 को 1.381 हैक. के खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम शेष 1. 205 हैक. भूमि यथावत रहेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.30 10:48:07 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28-08-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.30 10:48:07 IST
Reason: SelfAttested